/135118/2023

संख्याः 675 /XIII–2/2023–07(1–योजना)/2020

प्रेषक,

रणवीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–2: **देहरादूनः दिनांकः 05 जुलाई, 2023**

विषयः– राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ तथा रबी की फसल हेतु 03 वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11019/01/2022–क्रेडिट–।। (एफटीएसः 111875), दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी एडवाइजरी तथा पत्रांक 13015/02/2015 क्रेडिट II दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा 28 फरवरी, 2020 द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्रदेश में लागू करने हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति व दिशा निर्देशों के क्रम में तीन वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने हेतु राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की दिनांक 07.02.2023 को सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयानुसार तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 13015/03/2018 क्रेडिट ।। दिनांक 08.04.2020 द्वारा जारी माडल टेण्डर डाक्यूमेंट के दिशा निर्देशों के क्रम में मौसम खरीफ में फसल चावल, मण्डुवा तथा मौसम रबी में फसल गेहूं व मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़) को प्रदेश में तीन वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) हेतु लागू किये जाने हेतु कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति पत्रांक–कृ.नि./1084/कृ.सां./PMFBY/2023–24 दिनांक 19 मई, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजना को तीन वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) हेतु मौसम खरीफ में फसल चावल, मण्डुवा तथा मौसम रबी में फसल गेहूं व मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़) में क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लि. के माध्यम से लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दो क्लस्टर यथा गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल निर्धारित हैं। दोनों मण्डलों यथा गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊं मण्डल के क्लस्टरों में योजना का संचालन क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लि. के माध्यम से किया जायेगा। यह योजना ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक है। सभी वित्तीय संस्थानों का दायित्व है कि संसूचित क्षेत्रों में मौसम खरीफ में संसूचित फसल चावल तथा मण्डुवा एवं मौसम रबी में संसूचित फसल गेहूं तथा मसूर के लिए बीमित धनराशि रू. प्रति हे. नीचे अंकित तालिका–1, 2, 3 व 4 के अनुसार अनिवार्य रूप से पात्र कृषकों का बीमा करें। किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) द्वारा दिये गये ऋण भी बीमित धनराशि प्रति हेक्टेअर के अनुसार कृषक की आप्ट आउट मोड के अनुसार योजना में शामिल किया जायेगा।

संसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में फसल चावल, मण्डुवा, गेहूं तथा मसूर की फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान निम्न आधार पर सम्मिलित माने जायेंगे :–

(क) ऋणी किसान – सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल चावल, मण्डुवा, गेहूं तथा मसूर उगा रहे हैं और उन्हें वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण (संसूचित फसल चावल व मण्डुवा) हेतु ऋण की सीमा दिनांक 15 जुलाई तथा (संसूचित फसल गेहूं व मसूर) हेतु ऋण की सीमा दिनांक 15 दिसम्बर तक स्वीकृत की गयी हो तथा संसूचित फसल चावल व मण्डुवा हेतु कृषकों का ऋण खाता 01 अप्रैल से 15 जुलाई तथा संसूचित फसल गेहूं व मसूर हेतु कृषकों का ऋण खाता 01 अक्टूबर से 15 दिसम्बर के मध्य क्रियाशील है अथवा संबंधित अवधि में

कृषक द्वारा संसूचित फसल के लिए नयी के.सी.सी. के माध्यम से फसली ऋण लिया हो यथा ऋणी किसान, अनिवार्य/स्वचालित रूप से आच्छादित माने जायेंगे, ***यद्यपि यह योजना मौजूदा ऋणी कृषकों के लिए आप्ट आउट मोड पर काम करेगी। तथापि ऋणी कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा जब तक कि कृषक द्वारा वर्ष के दौरान संबंधित मौसम में (मौसम खरीफ व मौसम रबी) कट आफ डेट के एक सप्ताह पूर्व तक किसी भी समय लिखित रूप में संबधित बैंक शाखाओं में योजना मे सम्मिलित न होने हेतु अपेक्षित घोषणा पत्र/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो। कृषक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देकर इस योजना में भाग नहीं लेने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कृषक आगामी मौसम के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय योजनाओं में भाग नहीं लेना चाहता है, तो कृषक योजना में नामांकन की कट आफ डेट से सात दिन पहले तक संबंधित बैंक शाखा में लिखित आवेदन दे सकता है। यदि नामांकन के लिए दी गयी कट आफ डेट के सात दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त होता है, तो किसान को आगामी सत्र से अनिवार्य नामांकन से बैंक द्वारा हटा दिया जायेगा। वे सभी किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के <u>नवीकरण/नये</u> केसीसी के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं, संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा योजना मे सम्मिलित न होने हेतु अपेक्षित घोषणा पत्र/प्रार्थना पत्र लिखित रूप से प्राप्त होने के उपरान्त ही नामांकन नहीं किया जाएगा। अन्य समस्त पात्र ऋणी कृषकों का प्रीमियम सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कट आफ डेट के भीतर डेबिट किया जाना अनिवार्य है।***

(ख) स्वैच्छिक आधार पर (अऋणी किसान)– अऋणी कृषकों के लिए वित्तीय संस्थानों/इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकृत बीमा इन्टरमिडियरीज़/सीधे तौर पर बीमा कम्पनी के कार्यालय/संबंधित क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर को प्रस्ताव पत्र प्रीमियम सहित प्रस्तुत करने कि अंतिम तिथि मौसम खरीफ हेतु 15 जुलाई व मौसम रबी हेतु 15 दिसम्बर तक है। इस श्रेणी के कृषक योजना में सम्मिलित होने के लिए स्वप्रमाणित भू–अभिलेख के साथ बीमा प्रस्ताव पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र के साथ संसूचित फसल का बीमा आवरण प्राप्त करेगें। बीमा कम्पनी स्वप्रमाणित भू–अभिलेख का मिलान देवभूमि उत्तराखण्ड के आनलाइन रिकार्डस ऑफ राइट्स से सत्यापित कर सकती है।

(ग) बीमित राशि– ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के जिलेवार (तालिका 1, तालिका 2, तालिका 3 व तालिका 4) के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि, प्रति हेक्टेअर बीमित राशि को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित की जायेगी तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को प्रति हेक्टेअर बीमित राशि से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा।

2. खरीफ 2023, 2024, 2025 तथा रबी 2023–24, 2024–25, 2025–26 में योजना जिन क्षेत्रों में संचालित की जायेगी, से सम्बन्धित संसूचित क्षेत्रों का विस्तृत विवरण कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा संबंधित बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी। खरीफ 2023 से योजना फसल चावल, मण्डुवा तथा गेहूं हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर तथा फसल मसूर हेतु जनपद स्तर पर संचालित की जायेगी। फसलवार जनपदों की सूची परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3 तथा परिशिष्ट–4 में दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मौसम खरीफ **2023, 2024, 2025** में फसल चावल, मण्डुवा, के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश निम्न तालिका 1 एवं 2 में तथा मौसम रबी **2023–24, 2024–25, 2025–26** हेतु फसल गेहूं व मसूर के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, बीमांकिक प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम, प्रीमियम सब्सिडी में राज्यांश एवं केन्द्रांश निम्न तालिका 3 व 4 में निम्नानुसार दिये गये हैं:

फसल– चावल तालिका–1 इण्डेम्निटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी (रूपये/हे.)		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				राज्यांश प्रतिशत में	केन्द्रांश प्रतिशत में	
			गढ़वाल मण्डल क्लस्टर			
1	चमोली	2.000	2.000	0.000	0.000	50000
2	देहरादून (पर्व0)	2.000	2.000	0.000	0.000	76230
3	देहरादून (मै0)	8.000	2.000	3.000	3.000	79068
4	हरिद्वार	4.000	2.000	1.000	1.000	90000
5	पौड़ी गढ़वाल	4.500	2.000	1.250	1.250	60822
6	रूद्रप्रयाग	2.000	2.000	0.000	0.000	52880
7	टिहरी गढ़वाल	4.500	2.000	1.250	1.250	57191
8	उत्तरकाशी	2.400	2.000	0.200	0.200	76103
			कुमायूं मण्डल क्लस्टर			
9	अल्मोड़ा	6.000	2.000	2.000	2.000	54650
10	बागेश्वर	2.800	2.000	0.400	0.400	52455
11	चम्पावत	6.780	2.000	2.390	2.390	52010
12	नैनीताल (पर्व0)	8.000	2.000	3.000	3.000	62500
13	नैनीताल (मै0)	3.500	2.000	0.750	0.750	96532
14	पिथौरागढ़	2.000	2.000	0.000	0.000	57550
15	ऊधमसिंहनगर	2.50	2.000	0.250	0.250	97922

फसल– मण्डुवा तालिका–2 इण्डेम्निटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी (रूपये/हे.)		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				राज्यांश प्रतिशत में	केन्द्रांश प्रतिशत में	
			गढवाल मण्डल क्लस्टर			
1	चमोली	2.00	2.000	0.000	0.000	50271
2	देहरादून (पर्व0)	9.00	2.000	3.500	3.500	62007
3	पौड़ी गढ़वाल	2.00	2.000	0.000	0.000	44940
4	रूद्रप्रयाग	2.00	2.000	0.000	0.000	48267
5	टिहरी गढ़वाल	4.12	2.000	1.060	1.060	54815
6	उत्तरकाशी	2.00	2.000	0.000	0.000	54994
			कुमायूं मण्डल क्लस्टर			
7	अल्मोड़ा	4.16	2.000	1.080	1.080	48310
8	बागेश्वर	4.16	2.000	1.080	1.080	48804
9	चम्पावत	4.16	2.000	1.080	1.080	56067
10	नैनीताल (पर्व0)	5.00	2.000	1.500	1.500	53169
11	पिथौरागढ़	3.00	2.000	0.500	0.500	53348

फसल– गेहूं तालिका–3 इण्डेम्निटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी (रूपये/हे.)		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				राज्यांश प्रतिशत में	केन्द्रांश प्रतिशत में	
गढ़वाल मण्डल क्लस्टर						
1	चमोली	9.00	1.500	3.750	3.750	47875
2	देहरादून (पर्व0)	9.00	1.500	3.750	3.750	74250
3	देहरादून (मै0)	9.00	1.500	3.750	3.750	74250
4	हरिद्वार	9.00	1.500	3.750	3.750	88000
5	पौड़ी गढ़वाल	9.00	1.500	3.750	3.750	57034
6	रूद्रप्रयाग	9.00	1.500	3.750	3.750	46998
7	टिहरी गढ़वाल	9.00	1.500	3.750	3.750	45165
8	उत्तरकाशी	9.00	1.500	3.750	3.750	69178
कुमायूं मण्डल क्लस्टर						
9	अल्मोड़ा	12.00	1.500	5.250	5.250	52103
10	बागेश्वर	12.00	1.500	5.250	5.250	48775
11	चम्पावत	12.00	1.500	5.250	5.250	47717
12	नैनीताल (पर्व0)	12.00	1.500	5.250	5.250	62500
13	नैनीताल (मै0)	12.00	1.500	5.250	5.250	78750
14	पिथौरागढ़	12.00	1.500	5.250	5.250	55740
15	ऊधमसिंहनगर	3.00	1.500	0.750	0.750	80750

फसल– मसूर तालिका–4 इण्डेम्निटी स्तर–90%

क्र. सं.	जनपद	बीमांकिक प्रीमियम दर प्रतिशत में	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर प्रतिशत में	प्रीमियम सब्सिडी (रूपये/हे.)		बीमित राशि (रूपये/हे.)
				राज्यांश प्रतिशत में	केन्द्रांश प्रतिशत में	
गढ़वाल मण्डल क्लस्टर						
1	पौड़ी गढ़वाल	12.50	1.500	5.500	5.500	43963
कुमायूं मण्डल क्लस्टर						
2	पिथौरागढ़	12.50	1.500	5.500	5.500	52200

नोट– उपरोक्त केन्द्रांश व राज्यांश को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होगी।

3. वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमा शुल्कों (प्रीमियम) का प्रेषण तथा आच्छादित कृषकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किये जाना: सभी वित्तीय संस्थाएं बीमा शुल्क (प्रीमियम की धनराशि) केवल इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से ही संबंधित क्रियान्वयक अभिकरण (एजेंसी) के खाते में निर्धारित तिथि मौसम खरीफ हेतु 01 अप्रैल से 30 जुलाई व मौसम रबी हेतु 01 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित/ट्रांसफर करेगी। ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों का प्रीमियम RTGS/NEFT क्रियान्वयक अभिकरण को प्राप्त होने की अंतिम तिथि मौसम खरीफ हेतु 30 जुलाई व मौसम रबी हेतु 30 दिसम्बर है। वित्तीय

संस्थाओं द्वारा आच्छादित कृषकों का विवरण (ऋणी तथा अऋणी) जिनके परिपेक्ष्य में प्रीमियम क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित किया गया है, को निश्चित रूप से निर्धारित तिथि मौसम खरीफ हेतु 30 जुलाई व मौसम रबी हेतु 30 दिसम्बर तक भारत सरकार के पोर्टल (pmfby.gov.in) पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है। गैर ऋणी कृषकों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पत्र और बीमा शुल्क स्वीकार करते समय वित्तीय शाखा बीमे की रकम इसकी सीमा और लागू बीमा शुल्क आदि का ब्यौरा सत्यापित करेंगी। भारत सरकार के पत्रांक 11018/01/2016 क्रेडिट II दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी वित्तीय संस्थाएं बीमा शुल्क (प्रीमियम की धनराशि) केवल इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से ही क्रियान्वयक अभिकरण (एजेंसी) के खाते में निर्धारित तिथि तक RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित /ट्रांसफर करेगी। ***नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर अपलोडेड कृषक ही बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित माने जायेंगे तथा इसी के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश सरकार द्वारा नियमानुसार जारी किया जायेगा। बैंक शाखाएँ ऋणी कृषकों को योजना के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर ऐच्छिक आधार पर संसूचित फसल का बीमा करेगी तथा ऋणी कृषकों के घोषणा पत्रों जिनके द्वारा उक्त मौसम में योजना में सम्मिलित न होने का घोषणा पत्र दिया गया है का उचित रिकॉर्ड रखेगी।***

RTGS/NEFT करने के लिए क्रियान्वित अभिकरण क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के RTGS/NEFT की सूचना निम्नानुसार है–

क्रियान्वयक अभिकरण	बैंक का नाम	बैंक अकाउंट नम्बर तथा IFSC कोड	पता
क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	एक्सिस बैंक, बेगमपत, हैदराबाद।	923020013296403 IFSC कोड UTIB0000008	बेगमपत, हैदराबाद।

क्रियान्वयक अभिकरण से जानकारी/पत्राचार हेतु सूचना निम्नानुसार है:–

क्रियान्वयक अभिकरण	पत्राचार का पता	मोबाइल नम्बर/ फैक्स नम्बर	ई.मेल
क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	C. V. Kumar, Chief Underwriting Officer, 413, 4th Floor, My Home Tycoon, Kundan Bagh, Begumpet, Hyderabad Telangana, India– 500016	9966222561	pmfby@kshema.co info@kshema.co

4, क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया:–योजना के प्राविधानों के अनुसार फसल के नुकसान का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार है।

(अ) फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित): व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा सूखा, सूखे की अवधि, जलप्लावन, व्यापक आधार पर कीट एवं व्याधियों का प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण संबंधित बीमा इकाई क्षेत्र में फसल की उपज में कमी होने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी। राज्य सरकार फसल पैदावार के अनुमान के लिये अधिसूचित बीमा एककों में अधिसूचित फसल के लिये फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या नियोजित तथा आयोजित करेगी। राज्य सरकार फसल उत्पादन अनुमानों (General Crop Estimation Surveys- GCES) तथा फसल बीमा दोनों के लिये फसल कटाई प्रयोगों तथा परिणामात्मक पैदावार अनुमानों की एकल श्रृंखला तैयार करेगी। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज़ के आधार पर नियमानुसार अन्तिम क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

(ब) **फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण (क्षेत्र आधारित):** फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज़ थ्रैसहोल्ड उपज़ के 50% से कम है। इस तरह की क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित राज्य सरकार (राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग) एवं बीमा कम्पनी मिलकर सर्वेक्षण कर निर्धारित करेंगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी संसूचित क्षेत्रवार एवं फसलवार रिपोर्ट तैयार करेंगें तथा जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत रिपोर्ट के आधार पर योजना के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। जिसके आधार पर सम्बन्धित संसूचित क्षेत्र के कृषकों को सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक का भुगतान क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा किया जायेगा। मध्यावधि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि, अन्तिम उपज़ आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन के पूर्व तक होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी। इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, उपग्रह चित्रण अथवा अन्य प्रॉक्सी संकेतों आदि को आधार माना जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के उपलब्ध मौसम केन्द्रों से प्राप्त जिलेवार मौसम के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। जिलास्तर पर क्षतिपूर्ति निर्धारण D L J C- District level joint committee द्वारा योजना के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।

स) **बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना** (Prevented Sowing/Sowing Failure) **(क्षेत्र आधारित):** अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान किया जा सकता है यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी संसूचित क्षेत्रवार एवं फसलवार बुवाई फेल होने की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत रिपोर्ट के आधार पर योजना के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति वितरण किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर मौसम के आंकड़ों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के जिलेवार उपलब्ध मौसम केन्द्रों के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज़ आधारित दावा के लिए पात्र नहीं होंगें। उक्त स्थिति यदि मौसम खरीफ में 31 जुलाई तथा मौसम रबी में 31 दिसम्बर तक होती है तो उपरोक्त प्राविधान को लागू किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। जिलास्तर पर क्षतिपूर्ति निर्धारण D L J C - District level joint committee द्वारा योजना के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा।

(द) स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलन: स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन (फसल धान के लिए लागू नहीं), बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिय जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 72 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि (Technical Personnel of the Company) को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण

की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन पूर्व होती है तो उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

(य) **फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये विखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण** (Post Harvest Losses): प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बैमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस से क्षति सम्बन्धी आंकलन व्यक्तिगत आधार पर सभी जनपदों में किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए विखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 72 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे। हानि सम्बन्धी सूचना मिलने पर क्रियान्वयक अभिकरण फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक/प्रतिनिधि को भेजेगी। जनपद में राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के प्राथमिक अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयक अभिकरण की सहायता करेगा। यदि संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संसूचित फसल के अन्तर्गत प्रभावित होता है तो उस संसूचित क्षेत्र के सभी प्रभावित बीमित कृषक वित्तीय सहायता के लिये पात्र माने जायेंगे जिनके द्वारा निश्चित अवधि में फसल नुकसान होने की सूचना दी गयी है। संबंधित संसूचित क्षेत्र में बीमित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, के संबंध में निर्धारण कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया जायेगा। जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूचना जारी की जायेगी तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल सर्वे करके हानि प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा। इस तरह की क्षतिपूर्ति का निर्धारण योजना के प्राविधान के क्रम में नियमानुसार किया जायेगा।

5. क्रियान्वयन अभिकरणों से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित धनराशि कृषकों के खातों में क्रेडिट करते हुए लाभान्वित कृषकों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा जिसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 15 दिनों के अन्दर हार्ड एव सॉफ्ट कॉपी में बीमा कम्पनी को प्रेषित करेंगे। क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का वितरण कृषकों को सीधे उनके संबंधित खाते में निर्गत करने का प्रयास किया जायेगा।

6. **बैंक सेवा शुल्क:** वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रेषित कुल प्रीमियम (Farmer's Share) पर 4.0% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

7. **उत्पादकता के आंकड़ों का प्रेषण:** कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा मौसम खरीफ में संसूचित फसल चावल व मण्डुवा तथा रबी में संसूचित फसल गेहूं तथा मसूर के आंकड़े क्रियान्वयक अभिकरण को संबंधित मौसम के क्रम में क्रमशः 15 जनवरी तथा 31 जुलाई तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 11019/01/2022–क्रेडिट–।। (एफटीएसः 111875), दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन हेतु प्रस्तावित एडवाइसरी के अनुसार योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु खरीफ 2023 से ग्राम पंचायत स्तर पर औसत उपज के मूल्यांकन के लिये Yield Estimation System through Technology (YES-TECH) का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। जोकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

10. प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह में 06 क्राप कटिंग प्रयोग किये जाने हैं अतः जिन ग्राम पंचायतों में छः हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल हैं उन ग्राम पंचायतों को निकटतम ग्राम पंचायतों के साथ सम्मिलित किया जायेगा। संसूचित ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह की सूची संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त कर कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा जारी की जायेगी।

11. उक्त संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर जारी शासनादेशों प्राविधानों, नियमों एवं व्यवस्थाओं आदि का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा।

12. जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति (जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य सचिव, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, जिला सहकारी बैंक, जिला अग्रणी बैंक, सहायक निबंधक सहकारिता तथा क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधि सदस्य नामित किये गये हैं) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पाक्षिक/मासिक प्रगति की संसूचित क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा करेगी। योजना के प्राविधान के अनुसार जनपदस्तर पर समिति संसूचित क्षेत्रवार संसूचित फसल के बीमित क्षेत्रफल तथा वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल के क्रम में समीक्षा करेगी तथा इसकी सूचना उत्तराखण्ड शासन तथा प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगी। योजना में अधिक से अधिक कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। फसल की स्थिति, बैंकों द्वारा बीमा आच्छादन तथा फसली ऋण की स्थिति पर पाक्षिक/मासिक प्रगति समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखण्ड शासन तथा प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगी और यह समिति खण्ड विकास अधिकारियों एवं बहुद्देशीय कर्मियों की इस योजना में पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत करेगी। पात्र ऋणी व अऋणी कृषकों को अधिक से अधिक योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने के लिए जिला कृषि विभाग/बीमा कम्पनी तथा अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा कृषकों को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय कॉमन सर्विस सेन्टर के द्वारा आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किसानों, बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि की शिकायतों के निवारण हेतु कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 के पत्रांक 781/XIII–1/2019–1(03)2002 दिनांक 20 जून, 2019 राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (स्टेट लेवल ग्रीवेन्सेस रीड्रेसल कमेटी SGRC) तथा जनपदस्तर पर जनपद स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डिस्ट्रिक लेवल ग्रीवेन्सेस रीड्रेसल कमेटी DGRC) का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा किसानों, बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि की शिकायतों के निवारण हेतु योजना के प्राविधान तथा उत्तराखण्ड के शासनादेश के अनुसार शिकायतों का निवारण किया जायेगा।

14. जिलाधिकारी राजस्व विभाग के प्राथमिक कर्मचारियों के माध्यम से क्राप–कटिंग के प्रयोगों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करायेंगे तथा इस संदर्भ में जिला स्तर पर क्राप–कटिंग की समय समय पर समीक्षा भी करेंगे। संसूचित फसल के समस्त क्राप कटिंग प्रयोगों का डाटा पूर्व निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशालय को प्रेषित करने के साथ–साथ अनिवार्य रूप से "CCE-Agri" App के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

15. भारत सरकार के पत्रांक 11018/01/2015 क्रेडिट II दिनांक 06 मार्च 2017 द्वारा डायरेक्ट वेनेफिट ट्रांसफर के संबंध में भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना 08 फरवरी, 2017 के अनुसार योजना में आच्छादित होने वाले समस्त कृषकों को आधार नम्बर फसली ऋण बैंक खाते में लिंक

करना अनिवार्य होगा, के क्रम में एस.एल.बी.सी. समस्त बैंकों को बीमित कृषकों को आधार नम्बर से लिंक करने व डाटा आनलाइन करने हेतु निर्देश जारी करेंगे। सभी बीमित कृषकों का आधार नम्बर अनिवार्य है।

15. भारत सरकार के पत्रांक 13017/04/2020 क्रेडिट II दिनांक 22 अप्रैल, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समस्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक/सहकारी बैंकों/एस.एल.बी.सी.समन्वयक हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा योजना के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के क्रम में इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले कृषकों में से जिन कृषकों द्वारा संबंधित मौसम (मौसम खरीफ व मौसम रबी) के कट आफ डेट के एक सप्ताह पूर्व तक बैंक शाखाओं में योजना मे सम्मिलित न होने हेतु अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर किये जाने का अनुरोध किया हो, के अतिरिक्त अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले समस्त कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा। अतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. क्रियान्वयक अभिकरण के प्रतिनिधियों को फसल कटाई प्रयोगों में सहभागिता एवं इस तरह के प्रयोगों के स्थलीय निरीक्षण तथा प्रारूपों को देखने हेतु अनुमति होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एक सप्ताह पूर्व संसूचित फसलों के क्राप कटिंग प्रयोगों की संभावित तिथियों की सूचना क्रियान्वयक अभिकरण एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

18. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा समस्त जनपदों के बैंकों में रैण्डम आधार पर फसल ऋण वितरण, बीमा आच्छादन, बीमित राशि, प्रीमियम की धनराशि एवं क्षतिपूर्ति वितरण के संबंध में सत्यापन कार्य करेगी तथा सूचना कृषि निदेशालय/शासन को प्रेषित करेगी। इसके साथ ही प्रत्येक माह संसूचित क्षेत्रवार बीमित कृषकों का विवरण बीमित धनराशि आदि की सूचना निर्धारित रूपपत्रों पर कृषि निदेशक, मुख्य कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

19. राज्य में जिलेवार उपलब्ध भारतीय मौसम विभाग के मौसम केन्द्र/कृषि संस्थानों एवं अन्य सरकारी विभाग के मौसम केन्द्र जिनके आंकड़े (प्राथमिक तौर पर वर्षा के आंकड़े) Mid Season Adversity एवं Sowing Failure के परिपेक्ष्य में क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के लिए प्रॉक्सी इन्डीकेटर के रूप में उपयोग किये जायेंगे। यदि सन्दर्भित मौसम केन्द्रो से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते है तो बैक–अप मौसम केन्द्रों के आंकड़ो का उपयोग किया जायेगा। किन्हीं कारणवश यदि बैकअप मौसम केन्द्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य नज़दीकी मौसम केन्द्र के आंकड़े कृषि विभाग की सहमति से उपयोग में लाये जायेंगे। सन्दर्भित मौसम केन्द्र तथा बैक–अप मौसम केन्द्र क्रमशः जनपद अल्मोड़ा के लिए– आई.एम. डी.ए.डब्लू.एस. मटेला, वी.पी.के.ए.स. हवालबाग, जनपद बागेश्वर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. कपकोट, वी.पी.के.ए.स. हवालबाग, जनपद पिथौरागढ़ के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. मुनस्यारी, जनपद चम्पावत के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चम्पावत, आई.एम. डी.ए.डब्लू.एस. पिथौरागढ़, जनपद नैनीताल पर्वतीय के लिए– आई.एम.डी. मुक्तेश्वर, आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. नैनीताल, नैनीताल मैदानी के लिए– आई.एम.डी. पंतनगर, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रपुर, आई.एम.डी. पंतनगर, जनपद देहरादून पर्वतीय के लिए आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. त्यूनी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला, जनपद देहरादून मैदानी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. जौलीग्रान्ट, आई.एम.डी. देहरादून, जनपद हरिद्वार के लिए– आई.एम.डी.ए. डब्लू.एस. रूड़की, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. धनौरी, पौड़ी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रूद्रप्रयाग, आई.एम. डी.ए.डब्लू.एस. भरसार, जनपद चमोली के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. चमोली, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस.

जोशीमठ, जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए– आई.एम.डी. न्यू टिहरी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. रानीचौरी तथा जनपद उत्तरकाशी के लिए– आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. उत्तरकाशी, आई.एम.डी.ए.डब्लू.एस. पुरोला हैं।

20. योजना के प्रचार एवं प्रसार मुख्य कृषि अधिकारी की देखरेख में चयनित बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड/न्यायपंचायत में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक कृषको को योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सके। जनपद में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गठित आजीविका समूहों/स्वयं सहायता समूहों के कृषकों को योजना में प्राथमिकता के तौर पर शामिल कराना सुनिश्चित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैनर्स आदि के माध्यम से किया जायेगा। बीमा कम्पनी प्रचार प्रसार हेतु सहकारिता विभाग से भी सहयोग प्राप्त करेगी। जिला कृषि विभाग एवं संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा योजना का संक्षिप्त विवरण जिसमें विभिन्न प्रकार से क्लेम करने की व्यवस्था अंकित हो, को बुलेट फार्म मे पम्पलेट बनाकर कृषकों तथा बैंक अधिकारियों के बीच वितरित किया जायेगा। अऋणी कृषकों का बीमा आच्छादन अधिक से अधिक क्षेत्रीय कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. योजना के अन्य प्राविधानों जो सर्वमान्य तथा केवल पालन करने योग्य हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार पालन किये जायेंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

Signed by Ranvir Singh Chauhan
Date: 05-07-2023 15:57:02

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः 6750(1)/XIII-2/**2023–07(1–योजना) 2002 तद्दिनांकित ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2 निदेशक/सहायक निदेशक, क्रेडिट–II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3 अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4 सचिव, वित्त/राजस्व/सहकारिता उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
6 निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7 निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड। (द्वारा कृषि निदेशक)
8 निदेशक कृषि/उद्यान/मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड।
9 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा कृषि निदेशक)
10 अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/संयुक्त कृषि निदेशक, कुमांऊ मण्डल, हल्द्वानी) (द्वारा कृषि निदेशक)
11 समस्त अग्रणी बैंक प्रबंधक/ समस्त सहायक निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड। (द्वारा कृषि निदेशक)
12 समस्त सचिव/महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।(द्वारा कृषि निदेशक)
13 चीफ अन्डर राइटिंग ऑफिसर, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, चौथा तल, माई होम टाइकून, कुन्दन बाग, बेगमपत, हैदराबाद–500016, तेलंगाना। (द्वारा कृषि निदेशक)
14 महाप्रबन्धक, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–समय पर वित्तीय संस्थाओं को योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कराने का कष्ट करें । (द्वारा कृषि निदेशक)

/135118/2023

15 अध्यक्ष, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून। (द्वारा कृषि निदेशक)

16 उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, डिफेंस कालोनी, सी–15, सेक्टर–1, देहरादून। (द्वारा कृषि निदेशक)

17 मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल सनराईज, राजपुर रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि समय–समय पर योजना की समीक्षा करने का कष्ट करें साथ ही साथ नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धकों को योजना की क्रियाशीलता के लिए निर्देश जारी करें। (द्वारा कृषि निदेशक)

18 सहायक महाप्रबन्धक/संयोजक, उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जोनल कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, 1–न्यू कैंट रोड़, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सभी बैंको को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं नाबार्ड के दिशानिर्देशों के साथ पत्र जारी करते हुए योजना की समय–समय पर समीक्षा करने का कष्ट करें । (द्वारा कृषि निदेशक)

19 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/ पंजाव नैशनल बैंक, केनरा बैंक, /इलाहाबाद बैंक /पंजाब एण्ड सिंध बैंक /ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, उत्तराखण्ड।(द्वारा कृषि निदेशक)

20 समस्त बैंक नियंत्रक/समस्त वित्तीय संस्थाएं, उत्तराखण्ड। (द्वारा कृषि निदेशक)

21 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Mahima Raunkal
Date: 05-07-2023 15:58:42

(महिमा)
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक फसल चावल हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	जनपद	फसल का नाम	संसूचित इकाई
1	चमोली	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
2	देहरादून (पर्व0)	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
3	देहरादून (मै0)	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
4	हरिद्वार	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
5	पौड़ी गढ़वाल	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
6	रूद्रप्रयाग	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
7	टिहरी गढ़वाल	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
8	उत्तरकाशी	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
9	अल्मोड़ा	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
10	बागेश्वर	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
11	चम्पावत	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
12	नैनीताल (पर्व0)	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
13	नैनीताल (मै0)	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
14	पिथौरागढ़	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
15	ऊधमसिंहनगर	चावल	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक फसल मण्डुवा हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	जनपद	फसल का नाम	संसूचित इकाई
1	चमोली	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
2	देहरादून (पर्व0)	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
3	पौड़ी गढ़वाल	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
4	रूद्रप्रयाग	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
5	टिहरी गढ़वाल	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
6	उत्तरकाशी	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
7	अल्मोड़ा	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
8	बागेश्वर	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
9	चम्पावत	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
10	नैनीताल (पर्व0)	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
11	पिथौरागढ़	मण्डुवा	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में रबी 2023–24 से रबी 2025–26 तक फसल गेहूं हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र. सं.	जनपद	फसल का नाम	संसूचित इकाई
1	चमोली	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
2	देहरादून (पर्व0)	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
3	देहरादून (मै0)	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
4	हरिद्वार	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
5	पौड़ी गढ़वाल	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
6	रूद्रप्रयाग	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
7	टिहरी गढ़वाल	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
8	उत्तरकाशी	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
9	अल्मोड़ा	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
10	बागेश्वर	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
11	चम्पावत	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
12	नैनीताल (पर्व0)	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
13	नैनीताल (मै0)	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
14	पिथौरागढ़	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह
15	ऊधमसिंहनगर	गेहूं	ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत समूह

परिशिष्ट–4

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में रबी 2023–24 से रबी 2025–26 तक फसल मसूर हेतु संसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	जनपद	फसल का नाम	संसूचित इकाई
1	पौड़ी गढ़वाल	मसूर	जनपद स्तर
2	पिथौरागढ़	मसूर	जनपद स्तर